संख्या -69/20212142/ ई-2-तेरह/2021-1430430

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः26 अक्टूबर,2021

विषय- मेसर्स गोयला डिस्टिलरी एलएल .पी., ग्राम दौलतपुर, औरंगाबाद, मितौली -लखीमपुर खीरी को 60 किप्रतिदिन .ली. क्षमता की शीरे /अनाज पर आधारित पेय औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति/प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं-जी-.24-.डी.प्रा-दो/215अगस्त 09 गोयला दिनांक /,तथा इस सम्बन्ध में अपर 2021 मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,उशासन की अध्यक.प्र.ेषता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.10.में लिये गये 2021 -निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या2071ई-2-तेरह/2021-1430430 दिनांक 12.10.का कृपया संदर्भ 2021 ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उर्पयुक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स गोयला डिस्टिलरी एलएल.पी., ग्राम दौलतपुर, औरंगाबाद, मितौली -लखीमपुर खीरी को 60 किप्रतिदिन अर्थात् .ली. वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 198 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की शीरे /अनाज पर आधारित मिश्रित डुअल मोड की आसवनी, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई .एन तथा .एस.डी.अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस/.ए.50 लाख लीटर पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा , को स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवक द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति व अनुज्ञा, आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनॉल , ईउत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज .ए.एन. व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य तक स्थापित करने उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 33/ 2021-810 ई- 2/ तेरह- 2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छवथमें उल्लिखित व्य (ानुसार मुख्य सचिव, उक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णयशासन की अध्य .प्र. लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज त किया जायेगा।दन सुनिश्चिका अनुपालन करते हुए उत्पा(.पी.एम.जी)

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।